

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

29/8/25

पत्रायली पेना | प्रकीर्णवादी  
उप० | पत्रायली का अवलोकन क्रिया  
शेषा प्रकरण पत्रायली लम्बे समय  
सेतली विचारधीन चल रही है  
में

अतः प्रकरण पत्रायली order 3  
Rule 5 non-compliance के

तहत खारिज की जाती है।

पत्रायली नम्बर से फम लेकर  
बाक पूर्ति जमा रिकार्ड हो।



म. वि. वि. न्यायालय, राजगढ़  
उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़  
दिनांक 29/8/25

प. वि.